मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक :एफ 20–35/2010/बी–ग्यारह, भोपाल, दिनांक 03/01/2013

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश भोपाल।

विषय :– उद्योग संवर्धन नीति, 2010 एवं कार्य योजना (वर्ष 2012 के संशोधनों को सम्मिलित करते हुए) की कण्डिका क्रमांक 15.1

संदर्भ :– इस विभाग का समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 29.12.2010

उद्योग संवर्धन नीति, 2010 एवं कार्य योजना की कण्डिका क्रमांक 15.1 का संशोधित प्रावधान निम्नानुसार है :–

15.1 सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रदेश के समस्त जिलों में पिछड़े जिलों की 'स' श्रेणी की भांति ब्याज अनुदान सहायता दी जायेगी ।

जिले की श्रेणी	अनुदान का प्रतिशत	अवधि (वर्ष)	अधिकतम राशि (रूपये लाख में)	रिमार्क
समस्त जिला	5	7	20.00	अजा/अजजा/महिला/निःशक्त जन श्रेणी के लिए सहायता राशि की दर 6 प्रतिशत, अवधि 8 वर्ष एवं अधिकतम सहायता राशि रू. 25.00 लाख होगी।

15.1.1 पात्र मध्यम विनिर्माण उद्यमों (वृहद श्रेणी के उद्योगो को छोडकर) को निम्नानुसार ब्याज अनुदान की पात्रता होगी–

जिले की श्रेणी	सम्पूर्ण पात्रता अवधि एवम् अधिकतम सहायता राशि (राशि रूपयें लाखों में)			रिमार्क
	अनुदान	अवधि	सहायता राशि की दर (%)	
पिछड़ा 'अ'	10.00	5 वर्ष	3	अजा/अजजा/महिला/निःशक्त जन श्रेणी के लिए सहायता राशि की दर 6 प्रतिशत, अवधि 8 वर्ष एवं अधिकतम सहायता राशि रू. 25.00 लाख होगी।
पिछड़ा 'ब'	15.00	6 वर्ष	4	
पिछड़ा 'स'	20.00	7 वर्ष	5	
उद्योग शून्य विकास खण्ड	20.00	7 वर्ष	5	

अग्रणी जिलों में भी अजा/अजजा/महिला/निःशक्त जन द्वारा स्थापित पात्र मध्यम विनिर्माण उद्यमों को 6 प्रतिशत की दर से 8 वर्ष की अवधि के लिये अधिकतम सहायता राशि रू.25.00 लाख की पात्रता रहेगी।

2/ उद्योग संवर्धन नीति, 2010 एवं कार्ययोजना में संशोधित प्रावधान दिनांक 28 अगस्त, 2012 से वर्तमान नीति की प्रभावशीलता दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 तक उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयों के लिए लागू रहेगी।

3/ उक्त प्रावधानों को क्रियान्वित किये जाने हेतु तैयार की गई **उद्योगों को टर्मलोन पर ब्याज अनुदान योजना,** 2010 की कण्डिकाओं के संशोधित प्रावधान आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। योजना की अन्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे। कृपया योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

4/ वित्त विभाग ने यू ओ क्रमांक 587/आर. 828/ब-2, दिनांक 04.12.2012 से उक्त योजना को जारी करने की सहमति दी गई है।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(एम.एस. सोलंकी)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 20-35/2010/बी-ग्यारह, भोपाल, दिनांक 03/01/2013

प्रतिलिपिः-

1/ प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की ओर महालेखाकार ग्वालियर को पृष्ठाकित करने हेतु ।

2/ महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) ग्वालियर मध्य प्रदेश ।

3/ महालेखाकार,(लेखा एवं परीक्षा) ग्वालियर मध्य प्रदेश ।

4/ प्रबंध संचालक,एम.पी.स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्ह0कार्पो0लि0भोपाल।

5/ प्रबंध संचालक,एमपी ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पो0लि0भोपाल।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग

उद्योगों को टर्मलोन पर ब्याज अनुदान योजना, 2010 में संशोधन

कण्डिका क्रमांक	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
2 (ख)	औद्योगिक दृष्टि से वर्गीकृत अग्रणी जिलों में स्थापित हर्बल व आयुर्वेद उत्पाद आधारित पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्यमों को पिछड़े जिलों की 'अ' श्रेणी की भांति 3 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष हेतु अधिकतम `10 लाख तक टर्मलोन पर ब्याज अनुदान की पात्रता होगी।	2 (ख) औद्योगिक दृष्टि से वर्गीकृत अग्रणी जिलों में स्थापित हर्बल व आयुर्वेद उत्पाद आधारित पात्र मध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्यमों को पिछड़े जिलों की 'अ' श्रेणी की भांति 3 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष हेतु अधिकतम रू.10 लाख तक टर्मलोन पर ब्याज अनुदान की पात्रता होगी। (ग) "दिनांक 28.08.2012 से 31.10.2015 तक उत्पादन प्रारंभ करने वाले पात्र सूक्ष्म एवं लघु विनिर्माण उद्यमों को विकसित जिलों सहित प्रदेश के समस्त जिलों में पिछड़े जिलों की "स" श्रेणी की भॉति 5 प्रतिशत की दर से 7 वर्ष की अवधि के लिये अधिकतम सहायता राशि `20.00 लाख तक टर्मलोन पर ब्याज अनुदान की पात्रता होगी।

6.1

अपात्र उद्योगों की श्रेणी में न आने वाले सूक्ष्म, लघु व मध्यम विनिर्माण उद्यमों (वृहद् श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर) को निम्नानुसार ब्याज अनुदान सहायता की पात्रता होगी –

जिले की श्रेणी	पात्रता अवधि एवं अधिकतम सहायता राशि (राशि रूपये लाखों में)			रिमार्क
	अनुदान	अवधि	सहायता राशि की दर (%)	
पिछड़ा 'अ'	10.00	5 वर्ष	3	अजा / अजजा / महिला / निःशक्त जन श्रेणी के लिए सहायता राशि की दर 6 प्रतिशत, अवधि 8 वर्ष एवं अधिकतम सहायता राशि रू. 25.00 लाख होगी।
पिछड़ा 'ब'	15.00	6 वर्ष	4	
पिछड़ा 'स'	20.00	7 वर्ष	5	
उद्योग शून्य विकास खण्ड	20.00	7 वर्ष	5	

6.1 पात्र सूक्ष्म एवं लघु विनिर्माण उद्यमों को प्रदेश के समस्त जिलों में निम्नानुसार ब्याज अनुदान सहायता की पात्रता होगी

जिले की श्रेणी	अनुदान का प्रतिशत	अवधि (वर्ष)	अधिकतम राशि (रूपये लाख में)	रिमार्क
समस्त जिला	5	7	20.00	अजा / अजजा / महिला / निःशक्त जन श्रेणी के लिए सहायता राशि की दर 6 प्रतिशत, अवधि 8 वर्ष एवं अधिकतम सहायता राशि रू. 25.00 लाख होगी।

पात्र मध्यम विनिर्माण उद्यमों (वृहद श्रेणी के उद्योगो को छोडकर) को निम्नानुसार ब्याज अनुदान की पात्रता होगी–

जिले की श्रेणी	सम्पूर्ण पात्रता अवधि एवम् अधिकतम सहायता राशि (राशि रूपये लाखों में)			रिमार्क
	अनुदान	अवधि	सहायता राशि की दर (%)	
पिछड़ा 'अ'	10.00	5 वर्ष	3	अजा / अजजा / महिला / निःशक्त जन श्रेणी के लिए सहायता राशि की दर 6 प्रतिशत, अवधि 8 वर्ष एवं अधिकतम सहायता राशि रू. 25.00 लाख होगी।
पिछड़ा 'ब'	15.00	6 वर्ष	4	
पिछड़ा 'स'	20.00	7 वर्ष	5	
उद्योग शून्य विकास खण्ड	20.00	7 वर्ष	5	

	परन्तु, (क) अग्रणी जिलों में भी अजा/अजजा/महिला/निःशक्तजन द्वारा स्थापित पात्र सूक्ष्म, लघु व मध्यम विनिर्माण उद्यमों को 6 प्रतिशत की दर से 8 वर्ष की अवधि के लिये अधिकतम सहायता राशि `25.00 लाख की पात्रता रहेगी।	परन्तु, (क) अग्रणी जिलों में भी अजा/अजजा/महिला/निःशक्त जन द्वारा स्थापित पात्र मध्यम विनिर्माण उद्यमों को 6 प्रतिशत की दर से 8 वर्ष की अवधि के लिये अधिकतम सहायता राशि रू. 25.00 लाख की पात्रता रहेगी। (ख) निजी क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक पार्क में विकसित जिलों सहित प्रदेश के समस्त जिलों में स्थापित होने वाले पात्र सूक्ष्म, लघु व मध्यम विनिर्माण उद्यमों को 'स' श्रेणी की भांति ब्याज अनुदान की पात्रता होगी।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग